## No. 57/06/2021-P&PW (B) Government of India Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension Department of Pension and Pensioners' Welfare

Lok Nayak Bhawan, Khan Market New Delhi, Dated 14<sup>th</sup> October, 2024

## OFFICE MEMORANDUM

Subject: Refund of employee's share with returns thereon on availing benefits under CCS (Pension) Rules, 1972 or CCS (EoP) Rules, 1939 in the event of death of a Central Government employee covered under National Pension System or his discharge on the ground of disablement or invalidation prior to notification of the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 - reg.

The undersigned is directed to say that the New Pension Scheme (now called as National Pension System) (NPS) was introduced vide Ministry of Finance, Department of Economic Affairs' notification No. 5/7/2003-ECB & PR dated 22.12.2003. It was provided that NPS would be mandatory for all new recruits to the Central Government service from 1<sup>st</sup> of January 2004 except the Armed Forces. Simultaneously, the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 and the CCS (Extraordinary Pension) Rules, 1939 were amended to provide that those rules would be applicable to the Government servants appointed on or before 31.12.2003.

- 2. However, considering the hardship being faced by the Government servants appointed on or after 01.01.2004, benefits of CCS (Pension) Rules, 1972 or CCS (Extraordinary Pension) Rules, 1939 as the case may be, were extended on provisional basis, in the event of death of Government servant covered by NPS or his discharge from service on invalidation / disablement, vide this Department's OM No. 38/41/06/P&PW(A) dated 05.05.2009. These benefits being provisional in nature, were subject to adjustment against the final payments to be made in accordance with the Rules to be framed.
- 3. Thereafter, PFRDA notified PFRDA (Exits and Withdrawals under NPS) Regulation, 2015 under PFRDA Act on 11.05.2015 which stipulates that if the subscriber or the family members of the deceased subscriber, upon his death, avails the option of additional relief on death or disability provided by the Government, the Government shall have right to adjust or seek transfer of the entire accumulated pension wealth of subscriber to itself. Therefore, on availing benefits under CCS (Pension) Rules, 1972 or CCS (Extraordinary Pension) Rules, 1939, as the case may be, by the Government employee or the family members, the entire accumulated pension corpus under NPS was transferred into the Government account.

conta.

- 4. Subsequently, Department of Pension and Pensioners' Welfare notified Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 to regulate service related matters in respect to Central Government employees covered under National Pension System. These rules inter-alia provides that if on death of the Subscriber or his discharge from service on invalidation or disablement, benefits are payable to the family members / Government servant under the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, 1939 or the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, the Government contribution and returns thereon in the accumulated pension corpus of the Subscriber shall be transferred to Government account. The remaining accumulated pension corpus shall be paid in lump sum to the Government servant or the person(s) in whose favour a nomination has been made under the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015, as the case may be.
- 5. The CCS (Implementation of NPS) Rules, 2021 are applicable from the date of their notification in the official Gazette i.e. 31.03.2021.
- 6. The matter has been examined in consultation with Department of Expenditure and Controller General of Accounts. It has been decided that in the cases relating to NPS employees, where Government servant or the family members had been granted benefits under CCS (Pension) Rules, 1972 or CCS (EOP) Rules, 1939 in place of NPS in accordance with the Department of Pension and Pensioners' Welfare OM No. 38/41/06-P&PW(A) dated 05.05.2009 and the entire accumulated pension corpus under NPS was transferred to the Government account, only the Government contribution with returns thereon in the accumulated pension corpus of the subscriber would be retained in Government account and remaining corpus would be paid back to the Government servant or nomince(s) or legal heir(s), as the case may be, as provided in the CCS (Implementation of NPS) Rules, 2021.
- 7. These orders shall take effect from 01.01.2004. The employee's contribution with returns thereon would be returned to the nominee(s) / legal heir(s) / Government servant, as the case may be, along with interest calculated for the period from the date of death / boarding out up to the date of payment of that amount, at rates and manner applicable to Public Provident Fund deposits from time to time.
- 8. In the cases related to Central Government employees covered under NPS, where Government servant or family members had been granted benefits under CCS(Pension) Rules, 1972 or CCS (EOP) Rules, 1939 in accordance with the Department of Pension and Pensioners' Welfare OM dated 05.05.2009 and has also been granted benefits from the accumulated pension corpus under NPS of the Government servant, the Government servant or the family member availing benefit of pension under pension rules would require to refund (in cases where NPS accumulations were not deposited into the Government account or not already refunded into Government account for availing benefit under pension rules) the Government contribution with return thereon in the accumulated pension corpus at the time of exit from NPS along with interest (upto the date of deposit in Government account) to be calculated at the same rate and manner as in the case of General Provident Fund applicable from time to time to continue to avail benefit under pension rules.

- 9. The accounting procedure for refund of employee's share with return thereon along with up to date interest, as provided by Office of the Comptroller & Auditor General vide their ID note No. 648/91-GA/2014 dated 23.03.2023 and Controller General of Accounts vide their UO note No. TA-3-6/3/2020-TA-III/cs-4308/138 dated 31.03.2023 is attached at Annexure-A.
- 10. All Ministries / Departments are requested to bring the contents of these orders to the notice of Controller of Accounts/ Pay and Accounts Officers and Attached, Subordinate offices under them.
- 11. This issues in consultation with Ministry of Finance, Department of Expenditure vide their ID Note No. 1(15)/EV/2021 dated 17.01.2022 and in consultation with Controller General of Accounts vide their I.D. Note No. TA-3-6/3/2020-TA-III/cs-4308 dated 22.04.2022.
- 12. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

(S. Chakrabarti)

Under Secretary to the Government of India

To,

- 1. All Central Government Ministries / Departments.
- 2. Department of Expenditure, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.
- 3. C&AG, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
- 4. Ministry of Railways, Railway Board, New Delhi.
- 5. Department of Financial Services, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi.
- 6. CGA, Department of Expenditure, INA, New Delhi.
- 7. NIC for posting on the website of this Department.

Accounting procedure as referred to in para (9) of the OM No. 57/06/2021-P&PW(B) dated 03.10.2024

The accounting procedure will be followed only for refund of employees share with return thereon and up to date interest to the nominee / Government Servants who had availed benefit under CCS (Pension) Rules, 1972 or CCS (EOP) Rules, 1939 in term of DOP&PW OM No. 38/41/06-P&PW(A) dated 05.05.2009, in the event of death of discharge on their disablement or invalidation of Government Servant covered under National Pension System (NPS) prior to notification of CCS (Implementation of NPS) Rules, 2021. The procedure would be as under:

- 1. In respect of employee whose provisional pension or family pension was already being paid in terms of DOP&PW OM dated 05.05.2009, the entire amount of employee's contribution and employer contribution with return thereon, as received from PFRDA was credited to "MH-0071-Contributions and Recoveries Pension and other Retirement Benefits. 01-Civil, 101-Subscriptions and Contributions, 01- Accumulated Pension Wealth in respect of NPS subscribers".
- 2. The Head of the Office / DDO shall work out the bifurcation of amount (employee's Contribution and return thereon) in confirmation with the service record of the employee, the copy of challan indicating details of NPS accumulated credited into Government Accounts (i.e. under MH 0071-Contribution and Recoveries and other retirement benefits, 01-Civil, 101-Subscription and Contributions, 01-Accumulated Pension Wealth in respect of NPS Subscribers) and other details of employees viz. PRAN, Period of Contribution, date of invalidation or death of employee etc.
- 3. DDO shall ensure that details of NPS accumulations so suggested by him tallies with the details provided by NSDL or match with Government records prior to constitution of PFRDA. The amount also needs to be reconciled with the figures available with the PAO.
- 4. PAO will prepare a Transfer Entry and transfer the bifurcation amount of employee contribution and return on employee contribution from the head originally credited (i.e. MH 0071-Contribution and Recoveries and other retirement benefits) to "MH 8342- Other Deposit, 117- Defined Contribution Pension Scheme for Government".
- 5. The interest on bifurcation amount (i.e. employee's contributions and return on employee's contribution) till proposed date of payment of accumulated fund shall be calculated by the DDO of the employees concerned.
- 6. The calculation of interest will be verified by the PAO concerned in the form of an authority.

Contd..

D

- 7. The PAO will make necessary accounting entry of interest amount by debiting the head "MH-2049-Interest payment, 60-Interest on other obligations, 101-Interest on Deposits, 29-Interest on defined Contribution Pension Scheme. 01-Interest on Contribution under Tier-1" and crediting the "MH 8342-Other Deposits, 117- Defined Contribution Pension Scheme for Government, 01- Government Servant Contribution under Tier-1".
- 8. After calculating the interest and got verified from PAO, the DDO shall prepare and prefer the bill of total amount to PAO clearly mentioning the employees details viz. PRAN and bifurcation amount interest amount etc.
- The PAO shall confirm the bill amount on the basis of record available with them.
- 10. The PAO shall make payment of bill by debiting the head "8342-Other Deposit, 117-Defined Contribution Pension Scheme for Government, 01-Government Servant Contribution under Tier-1".
- 11. The PAO will also make necessary entry in service record of the concerned NPS employee.

\*\*\*

D

## सं. 57/06/2021-पी&पीडबल्यू(बी) भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्केट

नई दिल्ली, दिनांक : 14 अक्टूबर, 2024

## कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 की अधिसूचना से पूर्व, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी की मृत्यु अथवा निःशक्तता या अशक्तता होने के कारण सेवा से कार्यमुक्त किए जाने की दशा में, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के अधीन हितलाभ प्राप्त करने पर कर्मचारी के हिस्से तथा उस पर रिटर्न की वापसी- संबंधी

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 22.12.2003 की अधिसूचना सं.5/7/2003-ईसीबी&पीआर द्वारा नई पेंशन योजना (जिसे अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कहा जाता है)(एनपीएस) लागू की गई थी। 1 जनवरी 2004 से, सशस्त्र बलों को छोड़कर, केंद्र सरकार की सेवा में भर्ती होने वाले सभी नए कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अनिवार्य किया गया। इसके साथ ही, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 और केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 में संशोधन किया गया ताकि इन नियमों को दिनांक 31.12.2003 को या उससे पूर्व नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू किया जा सके।

- 2. तथापि, दिनांक 01.01.2004 को या उसके पश्चात नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के समक्ष पेश आ रही कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, इस विभाग के दिनांक 05.05.2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/41/06/पीएंडपीडब्लू(ए) द्वारा, यथास्थिति, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमों के हितलाभ, एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने या अशक्तता/नि:शक्तता होने के कारण सेवा से कार्यमुक्त किए जाने की दशा में, अनंतिम आधार पर विस्तारित किए गए थे। चूंकि ये हितलाभ अनंतिम प्रकृति के थे, भावी विरचित नियमों के अनुसार संदत्त अंतिम भुगतानों के सापेक्ष समायोजन के अध्यधीन थे।
- 3. तत्पश्चात, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण(पीएफआरडीए) ने दिनांक 11.05.2015 को पीएफआरडीए अधिनियम के अधीन पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 अधिसूचित किया, जिसमें यह उपबंधित है कि यदि अभिदाता या अभिदाता की मृत्यु पर उसके कुटुंब के सदस्य, सरकार द्वारा यथा उपबंधित, मृत्यु या निःशक्तता संबंधी अतिरिक्त अनुतोष के विकल्प का प्रयोग करते हैं तो सरकार को अभिदाता का संपूर्ण संचित धन अपने पास समायोजित करने या अंतरण किए जाने का अधिकार होगा। अतः, सरकारी कर्मचारी या उसके कुटुंब के सदस्यों द्वारा, यथास्थिति, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के अधीन हितलाभ प्राप्त करने पर, एनपीएस के अधीन संपूर्ण संचित पेंशन कॉर्पस सरकारी खाते में अंतरित कर दिया गया।

- 4. तत्पश्चात, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बाबत सेवा संबंधी मामलों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया। इन नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंधित है कि अभिदाता की मृत्यु हो जाने अथवा अशक्तता या निःशक्तता के कारण सेवा से कार्यमुक्त किए जाने पर, केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 या केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के अधीन कुटुंब के सदस्यों/सरकारी कर्मचारी को हितलाभ संदेय हैं, तो अभिदाता के संचित पेंशन कॉर्पस में सरकार का अंशदान और उस पर मिलने वाला रिटर्न सरकारी खाते में अंतरित कर दिया जाएगा। शेष संचित पेंशन राशि का भुगतान, यथास्थित, सरकारी कर्मचारी या उस व्यक्ति/व्यक्तियों को एकमुश्त किया जाएगा, जिनके पक्ष में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अधीन नामनिर्देशन किया गया है।
- 5. केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 राजपत्र में अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 31.03.2021 से लागू होगी।
- 6. व्यय विभाग और लेखा महानियंत्रक के साथ परामर्श करके मामले की जांच की गई है। यह निर्णय लिया गया है कि एनपीएस कर्मचारियों से संबंधित मामलों में, जहां सरकारी कर्मचारी या उसके कुटुंब के सदस्यों को पेशन एवं पेशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 05.05.2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/41/06-पीएंडपीडब्लू(ए) के अनुसरण में एनपीएस के स्थान पर केंद्रीय सिविल सेवा(पेशन) नियमावली, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेशन) नियमावली, 1939 के अधीन हितलाभ दिया गया था और एनपीएस के अधीन संपूर्ण संचित पेशन तथा कॉर्पस को सरकारी खाते में अंतरित कर दिया गया था, अभिदाता के संचित पेशन कॉर्पस में से केवल सरकारी अंशदान तथा उस पर रिटर्न को सरकारी खाते में रखा जाएगा और शेष राशि, यथास्थिति, सरकारी कर्मचारी या नामनिर्देशित व्यक्ति(यों) या कानूनी उत्तराधिकारी(यों) को वापस कर दी जाएगी, जैसािक केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 में उपबंधित है।
- 7. ये आदेश दिनांक 01.01.2004 से प्रभावी होंगे। कर्मचारी का अंशदान, उस पर रिटर्न सिहत, मृत्यु होने/बोर्डिंग आउट होने की तारीख से लेकर उस राशि के भुगतान की तारीख तक की अविध के लिए, समय-समय पर लोक भविष्य निधि जमा पर लागू दरों और रीति से संगणित ब्याज सिहत यथास्थिति, नामनिर्देशिती(यों)/कानूनी उत्तराधिकारी(यों)/सरकारी कर्मचारी को लौटाया जाएगा।
- 8. एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों से संबंधित मामलों में, जहां सरकारी कर्मचारी या उसके कुटुंब के सदस्यों को पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 05.05.2009 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के अधीन हितलाभ प्रदान किए गए और उन्हें सरकारी कर्मचारी के एनपीएस के अंतर्गत संचित पेंशन कॉर्पस से भी हितलाभ प्रदान किए गए, पेंशन नियमों के अंतर्गत पेंशन का हितलाभ प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारी या उसके कुटुंब के सदस्य को (ऐसे मामलों में जहां एनपीएस संचय सरकारी खाते में जमा नहीं किए गए थे या पेंशन नियमों के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त करने के लिए सरकारी खाते में जमा नहीं किए गए थे या पेंशन नियमों के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त करने के लिए सरकारी खाते में पहले से वापस नहीं किए गए थे) एनपीएस से निकासी के समय संचित पेंशन कॉर्पस में से सरकारी अंशदान, उस पर रिटर्न सहित और ब्याज (सरकारी खाते में जमा करने की तारीख तक) के साथ वापस करना होगा, जिसकी संगणना उसी

जारी

दर और रीति से की जाएगी, जैसाकि पेंशन नियमों के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त करना जारी रखने के लिए समय-समय पर लागू सामान्य भविष्य निधि के मामले में लागू है।

- 9. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय द्वारा उनके दिनांक 23.03.2023 के आईडी नोट संख्या 648/91- जीए/2014 और लेखा महानियंत्रक द्वारा उनके दिनांक 31.03.2023 के यूओ नोट संख्या टीए-3-6/3/2020-टीए- III/सीएस-4308/138 द्वारा, कर्मचारियों के हिस्से और उस पर रिटर्न, अद्यतित ब्याज सहित वापस करने के लिए, यथाप्रदत्त लेखा प्रक्रिया अनुलग्नक-क में संलग्न है।
- 10. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इन आदेशों की विषय-वस्तु को लेखा नियंत्रक/वेतन एवं लेखा अधिकारियों तथा अपने अधीन संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों के संज्ञान में लाएं।
- 11. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 17.01.2022 के आईडी नोट संख्या 1(15)/ईवी/2021 के परामर्श से तथा लेखा महानियंत्रक के दिनांक 22.04.2022 के आईडी नोट संख्या टीए-3-6/3/2020-टीए-III/सीएस-4308 के परामर्श से जारी किया जाता है।
- 12. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत कार्मिकों के संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन यथाअधिदेशित, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करने के पश्चात जारी किए जाते हैं।

(एस. चक्रबर्ती)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

- 1. केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
- 2. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
- 3. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली।
- 4. रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।
- 5. वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली।
- 6. सीजीए, व्यय विभाग, आईएनए, नई दिल्ली।
- 7. एनआईसी को इस विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेत्।

दिनांक 03.10.2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 57/06/2021-पी&पीडबल्यू(बी) के पैरा (9) में संदर्भित लेखा प्रक्रिया

लेखा प्रक्रिया केवल ऐसे नामनिर्देशित व्यक्ति/सरकारी कर्मचारियों को, कर्मचारी के हिस्से की, उस पर रिटर्न सहित वापसी करने और अद्यतन ब्याज का संदाय करने के लिए की जाएगी, जिन्होंने पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 05.05.2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/41/06-पी&पीडब्लू (ए) के संदर्भ में, केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 की अधिसूचना से पूर्व राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली(एनपीएस) के अंतर्गत कवर किए गए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने अथवा अशक्तता या नि:शक्तता होने पर सेवा से कार्यमुक्त किए जाने की दशा में, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के अधीन हितलाभ प्राप्त किया था। यह प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:

- 1. ऐसे कर्मचारियों की बाबत जिनकी अनंतिम पेंशन या कुटुंब पेंशन का संदाय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 05.05.2009 के कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में पहले से ही किया जा रहा था, पीएफआरडीए से प्राप्त कर्मचारी अंशदान और उस पर रिटर्न सहित नियोक्ता अंशदान की पूरी रकम "एमएच-0071-अंशदान और वसूली पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ। 01-सिविल, 101-अभिदान और अंशदान, 01-एनपीएस अभिदाताओं की बाबत संचित पेंशन धन" में जमा की गई थी।
- 2. कार्यालय अध्यक्ष/आहरण एवं संवितरण अधिकारी, कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड, सरकारी खातों(अर्थात एमएच 0071-अंशदान और वसूली एवं अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ, 01-सिविल, 101-अभिदान और अंशदान, 01-एनपीएस अभिदाताओं की बाबत संचित पेंशन धन) में जमा एनपीएस संचित विवरण दर्शाने वाले चालान की प्रति और कर्मचारियों के अन्य विवरण जैसे प्रान(PRAN), अंशदान की अवधि, कर्मचारी की अशक्तता या मृत्यु की तारीख आदि की पुष्टि करते हुए राशि(कर्मचारी अंशदान और उस पर रिटर्न) का द्विभाजन करेंगे।
- 3. आहरण एवं संवितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा सुझाए गए एनपीएस संचयों का विवरण एनएसडीएल द्वारा प्रदत्त विवरणों से मेल खाता है या पीएफआरडीए के गठन से पूर्व सरकारी रिकॉर्डों से मेल खाता है। इस राशि का मिलान वेतन एवं लेखा अधिकारी के पास उपलब्ध आंकड़ों से भी किया जाए।
- 4. वेतन एवं लेखा अधिकारी एक अंतरण प्रविष्टि तैयार करेगा और कर्मचारी अंशदान की द्विभाजन राशि और कर्मचारी अंशदान पर रिटर्न को मूल रूप से जमा किए गए शीर्ष (अर्थात एमएच 0071-अंशदान और वसूली एवं अन्य सेवानिवृति हितलाभ) से "एमएच 8342- अन्य जमा, 117- सरकार के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" में अंतरित करेगा।
- 5. संचित निधि के भुगतान की प्रस्तावित तारीख तक द्विभाजन राशि (अर्थात कर्मचारी का अंशदान और कर्मचारी के अंशदान पर रिटर्न) पर ब्याज की संगणना संबंधित कर्मचारियों के आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा की जाएगी।

- 6. ब्याज की संगणना को संबंधित वेतन एवं लेखा अधिकारी द्वारा एक प्राधिकारी के रूप में सत्यापित किया जाएगा।
- 7. वेतन एवं लेखा अधिकारी शीर्ष "एमएच-2049-ब्याज का भुगतान, 60-अन्य दायित्वों पर ब्याज, 101-जमा पर ब्याज, 29-पिरभाषित अंशदान पेंशन योजना पर ब्याज। 01-टियर-1 के अंतर्गत अंशदान पर ब्याज" को डेबिट करते हुए और "एमएच 8342-अन्य जमा, 117- सरकार के लिए पिरभाषित अंशदान पेंशन योजना, 01-टियर-1 के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी का अंशदान" को क्रेडिट करते हुए ब्याज राशि की अपेक्षित लेखा प्रविष्टि करेगा।
- 8. ब्याज की संगणना करने और वेतन एवं लेखा अधिकारी से सत्यापित होने के पश्चात, आहरण एवं संवितरण अधिकारी कुल राशि का बिल तैयार करेगा और वेतन एवं लेखा अधिकारी को भेजेगा जिसमें कर्मचारियों के विवरण जैसे कि प्रान(PRAN) और द्विभाजन राशि, ब्याज राशि आदि का स्पष्ट उल्लेख होगा।
- 9. वेतन एवं लेखा अधिकारी अपने पास उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर बिल राशि की पुष्टि करेगा।
- 10. वेतन एवं लेखा अधिकारी "8342-अन्य जमा, 117-सरकार के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना, 01-टियर-1 के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी का अंशदान" शीर्ष को डेबिट करते हुए बिल का भुगतान करेगा।
- 11. वेतन एवं लेखा अधिकारी संबंधित एनपीएस कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड में अपेक्षित प्रविष्टि भी करेगा।